



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

क्रमांक 2349/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
RAJEEV GANDHI COLLEGE OF EDUCATION,
SANCHI ROAD, RAISEN MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 149069 दिनांक: 31/5/15

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक:- 179

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 102 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियाँ तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2349/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



139

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2350/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/20

प्रति, PRINCIPAL/DIRECTOR

PRINCETON COLLEGE,
RUN BY ABHINAV JEEVAN JYOTI SAMITI,
KHASARA NO. - 15/2, CHANPUR ROAD,
P.O. + TEHSIL - BARELI,
DIST. - RAISEN, - 464668, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 135932 दिनांक: 20-5-2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक:- 531.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 100 --- छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कसबाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ० क्रमांक 2351/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्ष 121 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

/ महा-कुलपति अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

क्रमांक 2352/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
RENU MAHAVIDHYALAYA,
RUN BY - TRINITY EDUCATION SOCIETY, B-19 C,
SECTOR, MANDIDEEP, RAISEN MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 142776 दिनांक: 31/5/15.
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 318.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 - 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

पृ0क्रमांक 2353/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 03/06/2017

सहा.-कुलसचिव अकादमी



204

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2321/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

PRINCIPAL / DIRECTOR,
RAJEEV GANDHI COLLEGE OF EDUCATION
HOSHANGABAD ROAD, OBEDULLAGANJ, RAISEN
(M.P.)

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 148173 दिनांक: 31-5-2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
कमांक: 112

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 50 --- छात्र संख्या

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0कमांक 2321/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा. कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2355/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

PRINCIPAL / DIRECTOR,
PRESIDENCY COLLEGE,
PLOT NO. - 667/3/1/1, YASHWANT, VILLAGE + P.O. +
TEHSIL + DIST. - RAISEN MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 1368/30 दिनांक: 25/5/15

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 396.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 - 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकरडेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृ0क्रमांक 2355/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



511

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2356/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/20

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
D.C.A.B. COLLEGE,
(RUN BY DALCHAND ATAB BAI EDUCATION SOCIETY),
506/2/02, HOSHANGABAD ROAD, N.H.12, VISHAN KHADA,
GOHERGANJ, OBEDULLAGANJ, RAISEN, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 1496/29 दिनांक: 31/5/15.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 384.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 50 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कसवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2357/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव अकादमी



131

नवीन संबद्धता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2537/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/6/17

PRINCIPAL / DIRECTOR
RAJEEV GANDHI COLLEGE OF EDUCATION, HOSHANGABAD ROAD,
OBEDULLA GANJ, RAISEN MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एस-सी0बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 185046 दिनांक: 04-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची
कमांक: 112

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एस-सी0बी0एड0 (चार वर्षीय) 100 छात्र संख्या प्रथम वर्ष
शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनिश्चितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आवेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

अ-भोपाल, दिनांक 14/6/17

पृ0कमांक 2538/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



सहा.-कुलसचिव, अकादमी



नवीन संबद्धता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2474/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8-6-17

PRINCIPAL / DIRECTOR
SARDAR AJEET SINGH MEMORIAL COLLEGE
RUN BY GURU HARGOVIND SOCIETY,,
SURVEY NO. 14/1, VO; AGE - AGAROUA CJP/DA. STREET/ROAD -
RAISEN, TALUKA/MANDAL - RAISEN, TOWN/CITY- AGARIYA CHOPDA,
DISTRICT - RAISEN-464551 MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एड0 पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 185507 दिनांक: 05-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 710.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 (दो वर्षीय) भाग प्रथम 100 छात्र संख्या
शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 8-6-17

पृ0क्रमांक 2475/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव, अकादमी